दिनांक 02.03.2024 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

महतारी वंदन योजना के हितग्राही 5 मार्च तक अपने खाते को डी.बी.टी. करवायें

भिलाईनगर। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने वाले आवेदिकाओं के खाते को डी.बी.टी (प्रत्यक्ष लाभ भुगतान) से जोड़ने के लिए अवकाश दिवस रविवार को बैंको को खुला रखने का आदेश जारी कर कलेक्टर ॠचा प्रकाश चौधरी ने हितग्राहियो को बड़ी राहत प्रदान की है।

कलेक्टर ने प्रबंधक अग्रणी बैंक दुर्ग के नाम पर पत्र जारी कर निर्देशित किये है कि छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा रही है। इस योजना के तहत 21 वर्ष से अधिक उम्र की विवाहित महिलाएं (तलाकशुदा/परित्यक्ता भी शामिल) को प्रतिमाह राशि 1000 उनके आधार लिंक बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया जाना है। जिले में बैंक खातो को आधार लिंक करने हेतु 59420 का लक्ष्य है, जिसमें से जिले के अधिकांश महिलाओ का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं हुआ है। उक्त कार्य समय सीमा में 5 मार्च तक पूर्ण किया जाना है। इस हेतु अवकाश दिवस रविवार को अर्थात 3 मार्च को महिलाएं बैंक में उपस्थित होकर अपना खाता आधार लिंक व डी.बी.टी. सक्रिय करवा सकते है। बैंक में रविवार को सिर्फ महतारी वंदन योजना के कार्य ही स्वीकार होंगे । इसके अलावा बैंकर्स प्रत्येक बैंक मे 2 से 5 मार्च तक महतारी वंदन योजना के आधार लिंक एवं डी.बी.टी क्रियान्वयन के लिए विशेष काउन्टर की सुविधा भी उपलब्ध करायेगे।

भिलाई निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने जानकारी देते हुए बताया कि भिलाई निगम क्षेत्र में संचालित 148 आंगनबाड़ी केन्द्रो में उन हितग्राहियो की सूची उपलब्ध कराई गई है जिन्होने महतारी वंदन योजना के साथ जो बैंक खाते संलग्न किये है वे आधार लिंक एवं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रॉसफर (डी.बी.टी.) से जुड़े नही है। आवेदिका अपने निकट के आंगनबाड़ी केन्द्रो में जाकर सूची का अवलोकन भी कर सकते है। हितग्राही अपने बैंक खाते को प्रत्यक्ष लाभ भुगतान यानि डी.बी.टी. 5 मार्च तक अवश्य करवा लेवें।